फर्द अहकाम

कन्हैयालाल व अन्य बनाम कन्हैयालाल

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर

केस संख्या 123/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	11/3/25	वादीगण ने वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली में वकील वादीगण को सुना गया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन व वकील वादीगण की बहस का मनन किया। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है जिसका निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 123/25
निर्णय दिनांक : 11.03.2025

उनवान

1. कन्हैया लाल पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत निवासी लालजी का वाढ सांगानेर जिला जयपुर।
2. पप्पु लाल पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत निवासी लालजी का वाढ सांगानेर जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुर रघुनाथ जाति कुमावत निवासी लालजी का वाढ सांगानेर जिला जयपुर।
4. रामजीलाल पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत निवासी लालजी का वाढ सांगानेर जिला जयपुर।

वनाम — वादीगण

1. कन्हैया लाल पुत्र छीतर कुमावत निवासी गोपाल जी की तलाई, मुहाना मोड के पास, सांगानेर।

प्रतिवादी

वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 वावत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंवर 2000 रकवा 0.10 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के काविज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण है। तथा वादीगण द्वारा उक्त भूमि का अपने अर्से के समय से उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा भूमि पर काविज है। वादीगण के उत्तर में प्रतिवादी की भूमि स्थित है। दिनांक 5.3.2025 दोपहर को प्रतिवादी कन्हैयालाल पुत्र छीतर कुमावत कुछ व्यक्तियों के साथ वादीगण की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास से आया तथा वादीगण की भूमि पर बिना अधिकारके अनाधिकृत रूप से घुसने का प्रयास किया तथा स्वयं की भूमि खसरा नंवर 2001 व 2002 में वादी की भूमि को मिलाने का प्रयास करने लगा द्य तव आस– पड़ोस के लोगों द्वारा वादीगण को सूचना मिलने पर वादीगण मौके पर पहुंचे तथा प्रतिवादी को वादीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने से मना किया तो प्रतिवादी व उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति आग बवूला हो गए तथा वादीगण से मारपीट करने पर उतारू हो गए। इस पर आस पड़ोस के लोगों की भीड जमा हो गई तथा आपसी समझाइए से प्रतिवादी व उनके साथ आए अन्य व्यक्ति चले गए तथा ऐलानिया धमकी देकर गए कि इस भूमि पर हम कब्जा करके रहेंगे तथा मौका पाकर वापस आएंगे एवं भूमि पर कब्जा कर वादीगण की भूमि को अपनी जमीन में मिलकर रहेंगे तथा यह भी ऐलानियां कहा कि पुलिस हमारा कुछ नहीं विगाड़ सकती हमने पुलिस से भी बात कर ली है। इस

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

की धमकी देकर तत्समय तो प्रतिवादी व उनके साथ आए अन्य व्यक्ति चले गए। इस पर
ा द्वारा 100 नंबर पर पुलिस को शिकायत की गई किन्तु पुलिस वालों ने इस पर किसी भी
की कोई कार्रवाई प्रतिवादी व अन्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो प्रतिवादी के साथ आए थे
ी। इस प्रकार वादीगण को पूर्ण डर बना हुआ है कि प्रतिवादी कभी भी मौका पाकर वादग्रस्त
र कब्जा कर सकते हैं इसलिए वाद प्रस्तुत करना तुरंत आवश्यक हुआ। दिनांक 7.3.2025
ः सायंकाल 5:00 बजे प्रतिवादी व उसके साथ अन्य कुछ व्यक्ति मौके पर आए तथा बिल्डिंग
ल का सामान डालना शुरू कर दिया एवं बजरी व पत्थर डलवाना शुरू कर दिया द्य इसकी
वादीगण को मिलने पर वादीगण मौके पर पहुंचे तो सब लोग एक साथ वादीगण को मारने
ारू हो गए तथा धमकी दी कि अगर मौके पर आए तो तुमको जान से मार देंगे तथा भूमि
जा करके रहेंगे एव प्रतिवादी द्वारा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी की वादीगण की इस
ो प्रतिवादी अपनी भूमि में मिलाकर रहेगा ततसमय भी वादीगण द्वारा एवं आस-पड़ोस के
जो तत्समय हल्ला-गुल्ला सुनकर इकट्ठे हो गए थे ने प्रतिवादी को समझाया तथा प्रतिवादी
सके साथ आए अन्य व्यक्ति उन्हें यही कहते रहे की अभी तो हम वापस चले जाते हैं किंतु
ूमि पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान बजरी एवं पत्थर इत्यादि डलवा दिए हैं मौका पाकर
ूमि को हमारी भूमि में मिला कर रहेंगे तथा भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। इस आशय की
यत वादीगण द्वारा पुनः संबंधित थाना मुहाना थाना अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से की।
पुलिस द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वादीगण खाता संख्या 752 पुराना
संख्या 711 खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा
ाण पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए प्रतिवादी को कोई अधिकार
है की वादीगण कि उक्त संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करें तथा अपने स्वयं
ज़मीन में इसको मिलाये। वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त
के अधिकारी हैं कि प्रतिवादी स्वयं या अपने किसी एजेंट व सर्वेट से वादीगण के कब्जे काश्त
कृषि भूमि खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हेक्टेयर पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या
धिकृत प्रवेश नहीं करें न स्वयं करें ना अन्य से करावे। वादीगण के उपयोग व उपभोग करने
ाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही किसी प्रकार से माल मटेरियल डालें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं
जिससे कि वादीगण के अधिकार प्रभावित होंवे ।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा विरुद्ध
वादी मय खर्चा डिग्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद
माया जावे की प्रतिवादी वादीगण की कृषि भूमि खाता संख्या 752 पुराना खाता संख्या 711
तरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हैकटेयर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर जिला जयपुर के कब्जे
श्त में किसी भी प्रकार की मजामत पैदा नहीं करें ना ही अनादिकृत रूप से प्रवेश करें ना ही
सी प्रकार का अतिक्रमण करें ना ही अपने किसी एजेंट सर्वेट से करावे। तथा ऐसा कोई भी
त्य नहीं करें जिससे वादीगण के अधिकार प्रभावित होंवे।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील वादीगण को वाद दावा पर सुना गया। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावे में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दावा विरुद्ध प्रतिवादी मय खर्चा डिग्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की प्रतिवादी वादीगण की कृषि भूमि खाता संख्या 752 पुराना खाता संख्या 711 खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हैक्टेयर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर जिला जयपुर के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजामत पैदा नहीं करें ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करें ना ही अपने किसी एजेंट सर्वेट से करावे। तथा ऐसा कोई भी कृत्य नही करें जिससे वादीगण के अधिकार प्रभावित होंवे।

पत्रावली मे सलग्न दस्तावेजो का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के काविज़ रेकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण है। तथा वादीगण द्वारा उक्त भूमि का अपने अर्सेदराज के समय से उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा भूमि पर काबिज है। वादीगण के उत्तर में प्रतिवादी की भूमि सीमाजोड पर स्थित है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने प्रयास करने की कोशिश कर रहा है और वादीगण की भूमि को प्रतिवादी द्वारा स्वयं की भूमि खसरा संख्या 2001, 2002 में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 07.03.2025 को प्रतिवादी द्वारा कब्जा करने हेतु वादीगण की जमीन में बजरी व पत्थर व रोडी डलवा दिया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी को रोकने की कोशिश की जिससे प्रतिवादी वादीगण द्वारा मारने की धमकी दी गई। वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी को कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने का कोई हक व अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगानेर के समक्ष पेश करे।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त वादग्रस्त आराजीयात में जब तक सीमाज्ञान नही हो जाता व सीमाज्ञान पश्चात सीमाचिन्ह नही लग जातें तब तक वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधाकारित ना करे। वादीगण सर्वप्रथम सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगानेर के समक्ष पेश करे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर